लेडी इरविन कॉलेज, नई दिल्ली
शासी निकाय

21 मार्च, 2022 को संपन्न शासी निकाय की बैठक का कार्यवृत्त

लेडी इरविन कॉलेज के शासी निकाय की बैठक सोमवार, 21 मार्च, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे लेडी इरविन कॉलेज, नई दिल्ली की निदेशक के कार्यालय में संपन्न हुई।

इस बैठक में निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति रही:

1. श्रीमती रीता मेनन (अध्यक्ष)
2. श्री मैथ्यू चेरियन
3. श्रीमान दिलीप चेनॉय
4. सुश्री रति बावा
5. सुश्री प्रीति सूदन
6. प्रो. नीति भसीन (विश्वविद्यालय प्रतिनिधि)
7. डॉ. दीपाली रस्तोगी (शिक्षक प्रतिनिधि)
8. डॉ. मणि भसीन कालरा (शिक्षक प्रतिनिधि)
9. श्री माधो सिंह (गैर-शिक्षण, विशेष आमंत्रित)
10. प्रो. अनूपा सिद्धू (निदेशक और सदस्य सचिव)

क्षमा याचना प्राप्त हुई :

श्री उमेश चंद गोयल, सुश्री ईशानी चंद्रा, सुश्री बुलबुल दास, सुश्री शोभना नारायण, डॉ रेणु सिंह और प्रो मनोज कुमार सिंह ने बैठक में भाग लेने में असमर्थता प्रकट की।

I. शासी निकाय की बैठक का कार्यवृत्त

1.1 *"24 दिसंबर, 2021 को संपन्न शासी निकाय की बैठकों के कार्यवृत्त पढ़े गए और उनकी संपुष्टि की गई।"*

1.2 कार्रवाई रिपोर्ट - "*नोट कर लिया गया।*"

II. प्रशासनिक मामले

रीता मेनन
21/3/22

अनूपा सिद्धू
20.7.22

2.1 विश्वविद्यालय की शिक्षिका -डॉ. अनूपा सिद्धू को प्रोफेसर के रूप में मान्यता

सहायक कुलसचिव (महाविद्यालय), दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिनांक 24.02.2022 के पत्र संख्या सीबी-II/261/मान्यता मामला/132 के माध्यम से डॉ.अनूपा सिद्धू को दिल्ली विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के रूप में मान्यता प्रदान करने से संबंधित कुलपति की स्वीकृति से अवगत कराया।

उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि 7 मार्च, 2022 को प्रमुख पद को अदला-बदली या रोटेट करते हुए नवंबर 2022 तक निदेशक, गृह अर्थशास्त्र संस्थान को सौंप दिया गया है।

"शासी निकाय ने पत्रशीर्ष या लेटरहेड में उपर्युक्त अनुशंसित परिवर्तन को नोट कर लिया ।"

2.2 निदेशक, शारीरिक शिक्षा की सेवानिवृत्ति की आयु

डॉ. उषा शर्मा का लेडी इरविन कॉलेज के शारीरिक शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्ति का मामला लंबित है। सहायक कुलसचिव (महाविद्यालय), दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिनांक 25.01.2022 के पत्र संख्या सीएस-1/111/ सेवानिवृत्ति डीपीई (टीएस)/2022 के माध्यम से महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा निदेशक की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में डॉ. मीरा सूद और दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अन्य शीर्षक वाले एलपीए संख्या 44/2019 में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 31.05.2019 को पारित आदेश की प्रति आदेश के पैरा संख्या 57 के अनुसार आवश्यक उचित कार्रवाई करने के लिए अग्रेषित की।

"न्यायालय के निर्णय का अध्ययन करने के बाद, शासी निकाय द्वारा इस मामले में निर्णय का पालन करने और पेंशन निर्धारण करने की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। शासी निकाय ने 62 वर्ष की आयु में उनकी सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली और निर्णय के पैरा 57 के संदर्भ में दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुमोदन पर अतिरिक्त वेतन समायोजित किया जाएगा।"

2.3 श्री मोहिनी सब्बरवाल की वसीयत पर नवीनतम जानकारी

सुश्री मीना ताखी ने दिनांक 18.01.2022 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 18.01.2022 के ईमेल माध्यम से अग्रेषित किया है। दिनांक 15.02.2022, 18.02.2022 और 05.03.2022 की ईमेल के माध्यम से इस मामले की नवीनतम जानकारी दी गई है। इस संबंध में न्यायालय में सुनवाई जारी है। शासी निकाय से इस बात पर गौर करने का अनुरोध किया गया कि इस मामले पर लंबे समय से कार्रवाई की जा रही है।

"शासी निकाय ने मामले पर गौर किया और वसीयत के संप्रमाण के लिए न्यायालय जाने की सलाह दी। इस मामले पर महाविद्यालय के अधिवक्ता के साथ चर्चा की जानी चाहिए।"

2.4 पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत एचआरडी/यूजीसी का स्किल हब इनिशिएटिव (एसएचआई)

डॉ. पूजा गुप्ता और डॉ. मीनाक्षी मित्तल स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वालों और स्कूल न जाने वाली युवा आबादी के लिए कौशल की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एचआरडी/ यूजीसी द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत आयोजित विभिन्न बैठकों में प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

"शासी निकाय ने उपर्युक्त मामले को नोट कर लिया।"

मीना मेनन

अनूपा सिद्धू
20.7.22

2.5 कंप्यूटर विभाग के अनुबंधित कर्मचारियों को नया पदनाम

सुश्री कुसुम कौशिक और श्री सूरज को लेवल- 4 के पत्र दिए गए। शासी निकाय से पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार इसे अनुमोदित करने का अनुरोध किया गया।

"शासी निकाय द्वारा उनके मूल पदनामों को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।"

2.6 छात्रावास समिति की रिपोर्ट और छात्रावास मेस को खोलना

छात्रावास की मेस को खोलने के संबंध में छात्रावास समिति की दिनांक 19.02.2022 की रिपोर्ट कार्यसूची के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न की गई। छात्रावास समिति ने पुराने मेस संचालक शिव शक्ति इंटरप्राइजेज को दिनांक 21.02.2022 से नई निविदा पास होने तक, पुराने नियम व शर्तों के साथ अंतरिम अवधि के लिए छात्रावास मेस खोलने की स्वीकृति प्रदान की। छात्रावास के ठेकेदार ने छात्रावास द्वारा स्वीकृत मेन्यू के साथ प्रति व्यक्ति 85.50/- रुपये की पुरानी दरों पर छात्रावास की मेस को अंतरिम अवधि के दौरान खोलने पर सहमति व्यक्त की।

"शासी निकाय ने छात्रावास समिति की सिफारिशों पर गौर करने के बाद पुराने संचालक शिव शक्ति एंटरप्राइजेज को पुराने नियम और शर्तों के साथ 85.50 रुपये की दर पर छात्रावास मेस संचालित करने की अनुमति देने को स्वीकृति दी। जीईएम पोर्टल पर निविदा जारी करने की सिफारिश की गई।"

2.7 कॉलेज की कैंटीन खोलना

कॉलेज कैंटीन समिति ने दिनांक 25.02.2022 के पत्र के माध्यम से पुराने कैंटीन संचालक श्री अरविंद कुमार गुप्ता को निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक अंतरिम और अस्थायी व्यवस्था के रूप में कॉलेज कैंटीन चलाने की अनुमति देने की सिफारिश की। श्री अरविंद गुप्ता ने कॉलेज कैंटीन चलाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने अपने पत्र के साथ अपनी पिछली ऑपरेटिव रेट लिस्ट भी दी है।

"शासी निकाय ने कॉलेज कैंटीन समिति की दिनांक 25.02.2022 की सिफारिशों और पुराने ऑपरेटर को अंतरिम और अस्थायी व्यवस्था के रूप में कैंटीन चलाने की अनुमति दी और जीईएम पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।"

2.8 चिकित्सा कक्ष की परिचारका की पुन: नियुक्ति

चिकित्सा सहायता डेस्क समिति ने दिनांक 17.02.2022 के पत्र द्वारा सुश्री ऋतु ठाकुर को चिकित्सा कक्ष की परिचारिका के रूप में दिनांक 17.02.2022 से 16.08.2022 तक छह महीने की अवधि के लिए पिछली स्वीकृत दरों पर पुन: नियुक्त करने की सिफारिश की।

"शासी निकाय ने उपर्युक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और दिल्ली सरकार की कुशल कामगार दरें (स्किल्ड रेट्स) और डीए प्रदान करने की सिफारिश की।"

अरूपा सिन्हा

20.7.22

2.9 'खाद्य एवं पोषण और खाद्य प्रौद्योगिकी हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन' पर व्याख्यान श्रृंखला

खाद्य एवं पोषण और खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग में प्रभारी शिक्षक डॉ. पुलकित माथुर ने पत्र दिनांक शून्य के माध्यम से बी.एससी. (ऑनर्स) खाद्य प्रौद्योगिकी, बी.एससी. (एच) और (पी) गृह विज्ञान के विद्यार्थियों के लाभ के लिए 'खाद्य एवं पोषण और खाद्य प्रौद्योगिकी हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन' पर व्याख्यान श्रृंखला आयोजित करने की मंजूरी देने का अनुरोध किया। विभाग नाममात्र के शुल्क पर परिचालन लागत का वहन करेगा। विभाग प्रति विद्यार्थी 400/- रुपये की लागत दर्शाता है। 10 सत्रों के लिए प्रति विद्यार्थी 500/- रुपये का शुल्क लेने की सिफारिश की गई है।

"शासी निकाय ने मार्गदर्शन सत्र आयोजित करने को स्वीकृति प्रदान की।"

2.10 प्राध्यापकों का अवकाश प्रदान करने / अवकाश की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति देने का अनुरोध

निम्नलिखित प्राध्यापकों ने अवकाश प्रदान करने / अवकाश की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है:-

क्र.सं.	नाम	अवधि और छुट्टी की प्रकृति	कारण
01.	डॉ पुण्या पिल्लई	सीसीएल- 17.02.2022 से छह महीने	पढ़ाई में अपने बेटे की मदद करने के लिए
02.	डॉ शांता रानी केरकेट्टा	सीसीएल- 01.04.2022 से 31.07.2022 तक	पढ़ाई में अपने बेटे की मदद करने के लिए
अनुपूरक कार्य-सूची			
03.	डॉ. दीपाली रस्तोगी	सीसीएल की अवधि 16.06.2022 तक बढ़ाना	सीसीएल की अवधि बढ़ाने का अनुरोध

"शासी निकाय ने उपरोक्त वर्णित अवधि और उद्देश्य के लिए उपर्युक्त प्राध्यापकों के अवकाश को मंजूरी प्रदान की।"

2.11 आरएके बाल अध्ययन केंद्र की प्रभारी

डॉ. पुण्या पिल्लई ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 के ईमेल द्वारा अनुरोध किया कि उन्हें आरएके बाल अध्ययन केंद्र की प्रभारी बनी रहने की अनुमति दी जाए।

"शासी निकाय ने डॉ पुण्या पिल्लई को आरएके बाल अध्ययन केंद्र की प्रभारी बने रहने की अनुमति प्रदान की।"

गीता मेनन

अरुणा सिन्हा
20.7.22

2.12 आईक्यूएसी रिपोर्ट

आईक्यूएसी, 31 मार्च, 2022 को एक्यूएआर रिपोर्ट 2022 दाखिल करना चाहता है। इस रिपोर्ट को शासी निकाय के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और डॉ सुषमा गोयल ने शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुति दी थी। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि नई वेबसाइट शुरू की गई है और सभी हितधारकों के लिए संशोधित फीडबैक फॉर्म वेबसाइट के साथ जोड़े गए हैं।

"एक्यूएआर रिपोर्ट 2022 के अवलोकन के बाद, शासी निकाय ने उसे दाखिल करने की मंजूरी दे दी। उन्होंने जितना संभव हो सके, साक्ष्य अपलोड करने की सिफारिश की। उन्होंने विशेष रूप से फीडबैक रिपोर्ट 2020-2021 के आधार पर प्राप्त भावी योजनाओं पर चर्चा की। फीडबैक फॉर्म संशोधित किए गए हैं। फीडबैक परिणाम एक्यूएआर रिपोर्ट में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।"

<u>अनुपूरक कार्य-सूची</u>

2.13 बी.एड पाठ्यक्रम के लिए एनसीटीई पंजीकरण।

एनसीटीई पंजीकरण का निवेदन किया गया । अंतिम तिथि 15.03.2022 थी। प्रबंधन प्राधिकरण पत्र, पट्टे का विवरण, भूमि का स्वामित्व जैसी कई नई आवश्यकताएं थीं। इस बीच, प्राचार्य ने शिक्षा विभाग की प्रभारी डॉ. ऋचा मेहता को अधिकृत किया।

भविष्य में या स्पष्टीकरण की स्थिति में शासी निकाय से अधिकृत करने का अनुरोध किया गया।

"शासी निकाय ने प्राचार्य को लेडी इरविन कॉलेज की ओर से एनसीटीई पीएआर पोर्टल पर निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) दाखिल करने, हस्ताक्षर करने, प्रारंभिक या सभी विवरण और दस्तावेज जमा करने के लिए अधिकृत किया।

सत्र 2020-2021 *के लिए पीएआर दाखिल करने के लिए प्राचार्य ने डॉ. ऋचा मेहता को अनुमोदित किया गया था, इसे मंजूरी भी मिल गई।."*

III वित्तीय मामले

3.1 वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

(क) वित्त समिति ने 11 जनवरी, 2022 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित अपनी ऑनलाइन बैठक में 01.07.2020 से लेडी इरविन कॉलेज में सरकारी नियमों के अनुसार, संशोधित लाइसेंस शुल्क की सिफारिश की जिसे कार्यसूची के साथ अनुलग्नक के रूप संलग्न किया गया।

(ख) वित्त समिति ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का लेखा तैयार करने के लिए कपिल वी. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को पत्र देने की सिफारिश की।

(ग) उन्होंने वित्तीय विवरण 2020-2021 पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी और लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की।

" वित्त समिति की सिफारिशों के आधार पर शासी निकाय ने 01.07.2020 से कॉलेज में सरकारी नियमों के अनुसार संशोधित लाइसेंस शुल्क को मंजूरी दे दी। । शासी निकाय ने इसके अलावा कपिल

अरुणा सिद्धू

20.7.22

वी. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के खातों की तैयारी किए जाने को भी
स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने वित्तीय विवरण 2020-2021 पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। "

अनुपूरक कार्य-सूची

3.2 पीएफ की ब्याज दरों से संबंधित नियमों पर चर्चा

"शासी निकाय ने पीएफ नियमों पर चर्चा की और इस निष्कर्ष पहुंचा गया कि 5 प्रतिशत ब्याज अजि होने की स्थिति में ही कॉलेज द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्चतर शिक्ष एकीकृत वित्त प्रभाग के दिनांक 9 फरवरी 2004 के पत्र संख्या एफ.19-16/2003-आईएफडी माध्यम से वितरित किया जा सकता है। उन्होंने यह पता लगाने की सिफारिश की कि 2021-2022 कितना ब्याज अर्जित किया गया है और इस मामले को कॉलेज पीएफ समिति में रखा गया है।"

IV भवन समिति

4.1 भवन समिति ने 11 फरवरी, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित अपनी ऑनलाइन बैठक छज्जा कार्य (44955/-रुपए), ऑनर्स ब्लॉक की छत की मरम्मत (201966/- रुपए) और एफटी ब्ल के नवीनीकरण (397088/- रुपए) के अनुशंसित प्राक्कलनों को मंजूरी दी । सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मि नए भवनों में मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी से संपर्क किया जाना चाहिए।

"शासी निकाय ने भवन समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई क के लिए निदेशक को अधिकृत किया।"

V. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मामला।

"कोई भी नहीं।"

अनूपा सिद्धू
20.7.22

डॉ. अनूपा सिद्धू
निदेशक एवं सदस्य सचिव

रीता मेनन

श्रीमती रीता मेनन
अध्यक्ष
शासी निकाय